कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 306 /13//आउशि/बजट/2021 भोपाल, दिनांक 19/2/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- अतिथि विद्वानों के लंबित मानदेय हेतु राशि की मांग ऑन लाईन माड्युल में दर्ज करने बावत । **(अंतिम अवसर)**

संदर्भः- 1.पत्र कमांक/511-12/105/आउशि/बजट/2020 दिनांक 18.5.2020 ।
2.पत्र कमांक/575-76/105/आउशि/बजट/2020 दिनांक 10.6.2020 ।

------0-----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 18.5.20 समस्त प्राचार्यो को अतिथि विद्वानों के वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 के लंबित मानदेय एवं मार्च,20-अप्रेल. 20 के मानदेय हेतु आवंट्ति की गई राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी ऑन लाईन माड्युल में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था । कई महाविद्यालयों द्वारा जानकारी दर्ज न करने के कारण सदंर्भित पत्र दिनांक 10.6.20 द्वारा अंतिम अवसर देते हुये जानकारी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के बावजूद कई महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि तक जानकारी दर्ज नहीं की गई।

2. उक्त निर्देशों के बावजूद कई महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि तक जानकारी दर्ज नहीं की गई और अब मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये लंबित मानदेय हेतु राशि की मांग की गई है । मानदेय भुगतान न होने से कई अतिथि विद्वानों द्वारा सीएम हेल्पलाईन में शिकायत भी दर्ज करायी गई । यह उचित नहीं है । तथापि मांग पत्र के अनुक्रम में महाविद्यालयों को राशि आवंट्ति भी कर दी गई है।

3. मानदेय भुगतान के संबंध में अन्यथा स्थितियां निर्मित न हो । इसके लिये अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया जाता है कि कृपया लंबित मानदेय के संबंध में जानकारी निम्न ऑन माड्युल में दर्ज करने का कष्ट करें:-

स.क.	महावि. का नाम	वर्ष 2018-19 (1.4.2019 से पूर्व की अवधि) के लंबित मानदेय हेतु वांछित राशि	वर्ष 2019-20 (1.4.19 से फरवरी,20 तक) के लंबित मानदेय हेतु वांछित राशि	रिमार्क (कॉलम-3 व 4 के मानदेय लंबित होने का कारण स्पष्ट करें)	मार्च,20 से जनवरी,21 तक आवंट्ति राशि के अलावा इस अवधि के लिये वांछित अतिरिक्त राशि	रिमार्क (कॉलम-6 के संबंध में कारण एवं अवधि स्पष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7

4. उक्त प्रपत्र में जानकारी दर्ज करने के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावेः-

(1) कॉलम-3 में अप्रेल,19 के पूर्व का नियमानुसार भुगतान किये जाने वाले मानदेय की राशि लंबित हो अथवा जनभागीदारी मद से भुगतान किया गया हो और उसका समायोजन शेष है तो ऐसी राशि उसकी मांग दर्ज की जावे । लंबित रहने का कारण कॉलम-5 में दर्ज आवश्यक रूप से दर्ज किया जावे ।

Scanned with CamScanner

(2) कॉलम-4 में 1/4/19 से फरवरी,20 की अवधि के नियमानुसार भुगतान किये जाने वाले मानदेय की राशि लंबित हो अथवा जनभागीदारी मद से भुगतान किया गया हो और उसका समायोजन शेष है तो ऐसी राशि उसकी मांग दर्ज की जावे । लंबित रहने का कारण कॉलम-5 में दर्ज आवश्यक रूप से दर्ज किया जावे ।

(3) कॉलम-6 में मार्च,20 से जनवरी,21 तक आवंट्ति की गई राशि के अलावा अतिथि विद्वानों के फालन आउट होने से उनके मानदेय के भुगतान लंबित हो अथवा कार्यरत अतिथि विद्वानों के अनुपात में कम राशि आवंट्ति हुई हो तो उसकी मांग दर्ज की जावे । मांग की गई राशि के संबंध में कारण कॉलम-7 में स्पष्ट करें ।

(4) राशि दर्ज करने के पूर्व मांग की जाने वाली राशि की गणना भुगतान के संबंध में समय-समय जारी निर्देशों के अनुक्रम में उचित ढंग से करते हुये राशि दर्ज की जावे ।

(5) लंबित मानदेय हेतु राशि की मांग प्रस्तुत करने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है । इसके संबंध में पृथक से पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(6) समस्त महाविद्यालय ऑन लाईन माड्युल में जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें । मांग राशि शून्य होने पर भी उसकी जानकारी दर्ज की जावे ।

(7) यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय से कोई भी पत्राचार करते समय उसमें महाविद्यालय का दूरभाष क्रमांक, प्राचार्य का नाम व मोबाईल क्रमांक एवं ईमेल मेल एड्रेस आवश्यक रूप से अंकित किया जावे । ऑन लाईन माडयुल मे भी यह जानकारी दर्ज की जावे।

5. उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुये समस्त महाविद्यालय ऑन लाईन माड्युल में दिनांक 25.2.2021 तक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें । मांग राशि शून्य होने पर भी उसकी जानकारी दर्ज की जावे । मांग राशि दर्ज न करने पर अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज करने पर अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर प्राचार्य की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी ।

(चन्द्र शेखर वालिम्बे)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क्र0- 307 /13/आउशि/बजट/2021 भोपाल, दिनांक- 19/2/2021

प्रतिलिपि-

1. मान. मंत्री,उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन के विशेष सहायक ।
2. प्रमुख सचिव ,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय के निज सचिव ।
3. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर भेजते हुये लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार माड्युल विभाग की वेबसाईट पर अविलंब प्रारंभ करने का कष्ट करें ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, म.प्र. ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

E:\Budget\Guest_2020-21\letter_guest.doc

Scanned with CamScanner